न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–132/2016/भीलवाड़ा (2016/00085)

1. साबुदीन पुत्र रहीमबक्ष, जाति पिनारा, निवासी नान्दसा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. घीसी पुत्री बादरखां, जाति पिनारा, निवासी नान्दसा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा हाल निवासी बोरियापुरा, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
2. अणछी पुत्री बादरखां, जाति पिनारा, निवासी नान्दसा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा ।
3. पटवारी हल्का ग्राम नान्दसा, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध संशोधित आदेश विद्वान सहायक कलक्टर पदैन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 5.7.2016 अंतर्गत अपील संख्या 7/2014 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित .

निर्णय

दिनांक :– 25.6.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदैन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नान्दसा में अवस्थित आराजी खसरा संख्या 1663 व 1666 कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि की खातेदारी मु0 हलीमा बेवा बादरखां के नाम दर्ज थी । मु0 हलीमा बेवा बादर खां खातेदार ने अपने जीवनकाल में दिनांक 7.9.2012 को एक वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में तहरीर कर दिया था । उक्त

वसीयतनामा दिनांक 7.9.2012 मु0 हलीमा बेवा बादर खां की अंतिम वसीयत है । मु0 हलीमा बेवा बादर खां की वसीयत को नजरअंदाज कर मृतक खातेदार मु0 हलीमा बेवा बादर खां की भूमि नामांतकरण संख्या 1173 दिनांक 16.8.2014 ग्राम पंचायत नांदसा ने बिना अपीलांट को नोटिस दिये व बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में निर्णित कर दिया । अपीलांट ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 1173 दिनांक 16.8.2014 को विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदैन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में चुनौती दी । विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदैन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने अपने निर्णय दिनांक 5.7.2016 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1173 दिनांक 16.8.2014 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, सहाड़ा को अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि मु0 हलीमा ने अपीलांट के पक्ष में अपने जीवनकाल में दिनांक 7.9.2012 को वसीयत निष्पादित की थी जिसे विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में सही माना है । उक्त वसीयत मृतक खातेदार की अंतिम वसीयत है, जो मृतक खातेदार के निधन होते ही प्रभाव में आ गई थी तथा अपीलांट वसीयत में अंकित आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है । अपीलांट ने भी वसीयत के आधार पर नामांतकरण खोले जाने के लिये दिनांक 3.3.2014 को तहसीलदार, सहाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो पटवारी हल्का के पास पेन्डिग होते हुए पटवारी हल्का ने तथ्य छिपाकर रेस्पो0 से मिलीभगती करते हुए नामांतकरण भरकर प्रस्तुत किया जिसे ग्राम पंचायत, नान्दासा ने स्वीकार कर लिया, जो प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 को प्रकरण रिमाण्ड करने के बजाय अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किये जाने के आदेश पारित करने चाहिये थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया मृतक खातेदार हलीमा द्वारा वसीयत की गई आराजी उसकी स्वअर्जित सम्पति है जिसे उसको वसीयत करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त था, ऐसी स्थिति में वसीयत के प्रभावी रहते तथा बिना कब्जे के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामांतकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 का नामांतकरण को निरस्त करने का निर्णय तो सही है किन्तु जांच व सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी जिससे प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे लेकिन बिना

वजह प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया जो आदेश गलत होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम स्त्री को वसीयत करने का कानूनन पूर्ण अधिकार है तो वसीयत की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने तहसीलदार, सहाड़ा को वसीयत के आधार पर नामांतकरण फैसल करने के लिये दिनांक 3.3.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की जिसके अनुसार उक्त नामांतकरण विवादित था, तो धारा 135 (2) एल0आर0एक्ट0 के तहत ऐसे नामांतकरण फैसल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं थे । ग्राम पंचायत ने क्षैत्राधिकार के विरूद्ध जाकर नामांतकरण आदेश तस्दीक किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 5.7.2016 रिमाण्ड करने की हद तक निरस्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1173 दिनांक 16.8.2014 को निरस्त करने की जानकारी दी थी किन्तु प्रकरण रिमाण्ड बाबत् कोई जानकारी नहीं दी । इस कारण प्रार्थी समय पर रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सका । प्रार्थी अपने अधिवक्ता से दिनांक 9.10.2016 को कार्यालय में मिला तब अभिभाषक ने प्रार्थी को निर्णय की प्रतिलिपि पढ़कर प्रकरण रिमाण्ड बाबत् बताया व रिमाण्ड आदेश को गलत बताकर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की राय दिये जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 10.10.2016 को अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर विधिक राय के अनुसार यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- प्रकरण में जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदार मु0 हलीमा थी तथा उसकी मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत, सहाड़ा ने विरासत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया है जो सही है । मु0 हलीमा द्वारा अपीलांट के पक्ष में कभी भी वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में आगे कथन किया कि जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां वसीयत के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत करने के बजाय विरासत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक करना चाहिये । ग्राम पंचायत का नामांतकरण आदेश सही है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण तहसीलदार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । अपीलांट ने जो ऐतराज न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में उठाये है वे अधी0न्याया0 में प्रस्तुत कर सकते है । अपील अपीलांट अपास्त की जावे।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर

मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 1663 व 1666 रकबा क्रमशः 0.01 है0 एवं 0.04 है0 कुल रकबा 0. 05 है0 की खातेदार मु0 हलीमा बेवा बादर खां थी । मु0 हलीमा की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत, सहाड़ा ने विवादित आराजियात का विरासती नामांतकरण संख्या 1173 दिनांक 16.8.2014 रेस्पो0 संख्या 1 व 2, जो कि मृतक खातेदार मु0 हलीमा की पुत्रियां थी, के नाम स्वीकृत किया है । अपीलांट का कथन है कि मृतक खातेदार हलीमा ने दिनांक 7.9. 2012 को अपीलांट के पक्ष में विवादित आराजियात बाबत् वसीयत निष्पादित की थी जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है तथा उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार, सहाड़ा के समक्ष नामांतकरण हेतु दिनांक 3.3.2014 को प्रस्तुत किया था किन्तु पटवारी हल्का ने उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्य को छिपाकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में विरासत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक करने की रिपोर्ट अंकित है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य वसीयत एवं आराजियात के संबंध में विवाद है । नामांतकरण विवादित होने से ग्राम पंचायत को नामांतकरण तस्दीक करने का क्षैत्राधिकार नहीं था । ग्राम पंचायत को नामांतकरण तस्दीक करने के बजाय उक्त प्रकरण को तहसीलदार के समक्ष पेश करना चाहिये था किन्तु ग्राम पंचायत, सहाड़ा ने ऐसा न कर नामांतकरण विवादित होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने के बजाय अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण पारित करने के संबधं में अपीलांट द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध कराये बिना अपीलांट को भी वसीयत के आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अपीलांट ने जो ऐतराज न्यायालय हाजा के समक्ष उठाये है उन्हें वह तहसीलदार के समक्ष उठा सकते है । अधी0न्याया0 ने पक्षकारान को साक्ष्या एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतकरण की कार्यवाही के संबधं में प्रकरण तहसीलदार, सहाड़ा को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 5.7.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 132/2016 (2016/00085) बउनवानी साबुदीन बनाम घीसी को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदैन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 25.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर